दिनांक 28.05.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों कॉफ्रेंस की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– संचिका में संधारित

1. कृषि यांत्रिकरणः–

1.1 SMAM योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 में भारत सरकार से कस्टम हायरिंग के लिए यंत्र बैक स्थापित किया जाना था, जिसके लिए सभी जिलों को राशि बामेती के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को विगत दोनों वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु अब तक मात्र 26 जिलों से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध हो पाया है , जबकि अररिया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों से प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त है। SMAM योजना वर्ष 2014–15 (कार्यान्वयन वर्ष 2015–16) के प्रगति प्रतिवेदन में कतिपय जिलों से फ्लेक्सी फंड का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि अंकित किया गया है, जबकि फ्लेक्सी फंड का वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाया जाना है।

1.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र मात्र नवादा जिला से 19 ए0 में प्राप्त हुआ है। सुपौल जिला से उपयोगिता प्रमाण पत्र 42 ए0 में भेजा गया है, जबकि उसे 19 ए0 में होना चाहिए। शेष सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 29.05.2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि वर्ष 2018–19 के लिए आवंटन प्राप्त हो सके।

2. राष्ट्रीयकरण खाद्य सुरक्षा मिशनः–

2.1 प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा बताया गया कि भारत सरकार को भेजने हेतु वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र–19–ए0 में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से मांग की गई थी। जिसमें से 28 जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें से अधिकाशं जिलों का उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है। मात्र 5 जिलों यथा–पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया एवं शिवहर से सही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को केन्द्राशं एवं राज्यांश का फसलवार अलग–अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

2.2. सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2016–17 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र 42 ए0 में बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग को भेजने का निदेश दिया गया ताकि इसे महालेखाकार से समायोजन कराया जा सके।

3. जिला सिंचाई योजनाः–

प्रभारी पदाधिकारी, रा0 कृ0 वि0 यो0 द्वारा बताया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचना दी गई है कि जिला सिंचाई योजना को पुनः संशाधित कर भेजा जाय। लेकिन किसी भी जिला से संशाधित जिला सिंचाई योजना प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को

कार्यान्वित कराने में कठिनाई हो रही है। दिनांक 15.06.2018 तक संशोधित जिला सिंचाई योजना भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः–**

4.1 कृषि निदेशालय के पत्र सं0 2345 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रान्ति योजना, वर्ष 2017–18 का अन्तिम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग विहित प्रपत्र में सभी जिला कृषि पदाधिकारी से की गई थी। जिसके आलोक में अभी तक 21 जिलों से प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। शेष जिलों को अविलम्ब विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

4.2 सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित होने वाला हरित क्रान्ति योजना का लक्ष्य जिलों को भेज दिया गया है। लाभुकों की सूची तैयार करने एवं प्रत्यक्षण स्थल का चयन कर प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल के लिए एक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को टैग करने का निदेश दिया गया। जिन जिलों में हरित क्रान्ति योजना लागू नहीं है, उन जिलों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्रत्यक्षण कराने का लक्ष्य भेजा जा रहा है।

4.3 निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्यक्षण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभी से समीक्षा की जाय तथा एक कलस्टर बना कर योजना को कार्यान्वित किया जाय।

4.4 गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत करने तथा जिला कृषि पदाधिकारी को प्रारम्भ से ही स्वंय अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

4.5 निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत विगत वर्ष, 2017–18 में जो जिला लक्ष्य से अधिक राशि व्यय किये हैं वे अधिक राशि के अनुसार अपना प्रतिवेदन Google Doc पर दिये गये प्रारूप में उपलब्ध करा दें तथा राशि की अधियाचना आज ही भेज दें। ताकि उन्हें राशि भेजने हेतु संचिका उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। जिन जिलों से प्रतिवेदन के साथ राशि की अधियाचना दिनांक 30.05.2018 तक प्राप्त नही होगी यह समझा जायेगा उनको अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नही है।

5. **मृदा स्वास्थ्य कार्डः–**

5.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना संग्रह की उपलब्धि पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, एवं मधेपुरा में बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया है कि दिनांक 31 मई, 2018 तक मिट्टी नमूना संग्रह का लक्ष्य पूरा कर लिया जाय। अभी खेत खाली है, फसल लग जाने के बाद नमूना नहीं लिया जा सकेगा।

5.2 सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वायॅल हेल्थ मैनेजमेन्ट योजना से अररिया, समस्तीपुर, नालन्दा, रोहतास एवं पूर्वी चम्पारण जिला को MSTL Van के लिए राशि दी गई थी। इन जिलों को अविलम्ब राशि वापस करने का निदेश दिया गया।

5.3 स्वायॅल हेल्थ मैनेजमेन्ट योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में मिट्टी जाँच प्रयोशाला के सुट्टीढ़ीकरण हेतु राशि जिलों को दिया गया था। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र 42 ए0 में पटना, बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, गोपालगंज एवं जहानाबाद से अभी तक अप्राप्त है। इसे अविलम्व उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में स्वीकृत स्वॅायल हेल्थ कार्ड योजना अन्तर्गत निकासी की गई राशि के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रपत्र 42 ए में भेजने का निदेश दिया गया।

5.5 राज्य के पिछड़े जिलों यथाः–सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई के जिला कृषि पदाधिकारी को शतप्रतिशत मिट्टी नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में भेजने एवं इसकी जाँच करने का निदेश दिया गया। क्योंकि नीति आयोग की टीम कभी भी जाँच करने कि लिए आ सकती है।

6. **बीजः–**

6.1 बीज ग्राम योजना रबी 2017–18 का प्रतिवेदन मात्र भोजपुर, रोहतास, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं खगड़िया जिला से प्राप्त हुआ है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

6.2 बीज ग्राम योजना खरीफ 2017–18 का प्रतिवेदन मात्र भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, बांका, सुपौल, मधेपुरा एवं खगड़िया जिला से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है। बक्सर जिला में भेराइटी मेंसन नहीं है। इसी तरह अन्य जिले में केन्द्रांश एवं राज्यांश का जोड़ ठीक नहीं है। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण प्रतिवेदन को पूर्ण करते हुए पुनः भेजेगें। प्रत्येक फसल का लाभांवितों की संख्या (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) का प्रतिवेदन प्रतिवेदित करना है। प्रत्येक फसल के लिए किसान प्रशिक्षण की संख्या अंकित की जानी है एवं उसमें लाभांवित होने वाले किसान (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) प्रतिवेदन प्रतिवेदित करना है। इसी तरह केन्द्रांश एवं राज्यांश में अलग–अलग (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) प्रतिवेदित करना है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में भौतिक, वितीय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आज शाम तक भेजने का निदेश दिया गया है।

6.3 निदेश दिया गया कि वर्ष 2017–18 में वर्ष 2014–15 बीज ग्राम के उत्तरदायित्व मद की स्वीकृत राशि के विरूद्ध निकासी की गयी राशि का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए पूर्व में ही विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

6.4 मूंग बीज वितरण वर्ष 2018–19 का प्रतिवेदन मात्र पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सुपौल, पूर्णियां, किसनगंज एवं अररिया जिला से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। परन्तु पटना एवं सुपौल को छोड़कर शेष जिले का प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

6.5 मक्का फसल में दाना नहीं लगने से संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से अभी तक भोजपुर, सिवान, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा एवं पटना जिला से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब भेजवाने का निदेश दिया गया।

6.6 निदेश दिया गया कि बीज विकास वाहन के माध्यम से बी0 आर0 बी0 एन0 का कितना धान बीज बिक्री हुई है, इसकी जानकारी बी0 आर0 बी0 एन0 के मेल पर भेजी जाय।

6.7 निदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं में बी0 आर0 बी0 एन0 के बीज को प्राथमिकता दी जाय। सूचित किया गया कि एक माह के अन्दर सभी पंचायतों में बी0 आर0 बी0 एन0 का डीलर बना दिया जायेगा। सभी जिला कृषि पदाधिकारी शत प्रतिशत बी0 आर0 बी0 एन0 का ही बीज बंटवाना सुनिश्चित करेंगें।

6.8 सूचित किया गया कि बीज ग्राम योजना, वर्ष 2014–15 की उतरदायित्व मद की स्वीकृत राशि की निकासी कर बी0 आर0 बी0 एन0 को भेजना था। अभी तक बक्सर, कैमूर, औंरगाबाद, जहानाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चंम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिला से राशि अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि ये जिला अविलम्ब राशि भेज दें तथा जो जिला RTGS के माध्यम से राशि भेजे हैं, वे अपना U.T.R. No बी0 आर0 बी0 एन0 के मेल पर उपलब्ध करा दें।

6.9 वर्ष 2017–18 में रा0 कृ0 वि0 यो0 से 23 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि बामेती के माध्यम से सम्बंधित परियोजना निदेशक, आत्मा को भेजा गया है। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया गया कि इस राशि को L.A.E.O (Local Area Engineering Organisation) के कार्यपालक अभियन्ता को हस्तगत करा दिया जाय।

7. राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रः–

7.1 निदेश दिया गया कि रब्बी, 2017–18 में प्रक्षेत्रों में हुई खेती का प्रक्षेत्रवार अन्तिम उपज प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

7.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 का घटकवार अन्तिम व्यय प्रतिवेदन भेजवाना सुनिश्चित किया जाय।

8. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रमः–

8.1 सूचित किया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

8.2 जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना हेतु सर्वप्रथम लक्ष्य के अनुसार किसान समूह का चयन करने तथा समूह के लिगल स्टेटस प्राप्त करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। यह भी बताया गया कि लक्ष्य से अधिक समूह का चयन किया जा सकता है। जिन जिलों में लक्ष्य नहीं दिया गया है वे जिले भी समूह का चयन कर सकते हैं तथा इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करा दें। ताकि उन जिलों को भी लक्ष्य दिया जा सके।